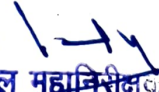


विधान सभा तारांकित प्रश्न क्र. 158

जिला जेल, छिन्दवाडा में परिरुद्ध विचाराधीन बंदी भाऊराव पुत्र भैयाजी उईके, उम्र - 45 वर्ष, निवासी- ग्राम - तीगाँव, थाना व तहसील पांडुर्णा, जिला - पांडुर्णा, म.प्र. थाना - पांडुर्णा, म.प्र. अपराध क्रमांक 284/2025, धारा 34(2) आबकारी एक्ट, का दिनांक 16.06.2025 को प्रातः लॉकप खुलने के बाद लगभग 05:50 - 05:55 बजे स्वास्थ्य खराब होने से जेल चिकित्सक द्वारा प्राथमिक जाँच उपरांत, जेल चिकित्सक के परामर्शानुसार उक्त विचाराधीन बंदी को शासकीय जिला चिकित्सालय, छिन्दवाडा म.प्र. भेजा गया जहाँ इयूटीरत चिकित्सक फईम खान, द्वारा लगभग 06:35 - 06:40 बजे उक्त विचाराधीन बंदी को मृत घोषित कर दिया। उक्त संबंध में मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई संपादित करने हेतु थाना प्रभारी एवं सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक से पत्राचार किया गया। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिन्दवाडा एवं माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाडा से न्यायिक जांच कराये जाने हेतु पत्राचार किया गया, जिसके अनुक्रम में माननीय न्यायालय श्री राहुल डोंगरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, छिन्दवाडा को न्यायिक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, जिनकी उपस्थिति में पोस्टमार्टम की कार्रवाई संपादित की गई तथा न्यायिक जांच की कार्रवाई प्रचलन में है।


अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
जेल विभाग मंत्रालय भोपाल


अति. जेल मुहानिरीक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल